न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(५३)

प्र.क्रं. /2017 ~~अपील~~ पुनरीक्षण। ⁊। निगरानी। शिवपुरी। भू-रा। 2017। 2171

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 11-7-17 को प्रस्तुत

11.7.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
11-7-17 एडवोकेट
ग्वालियर

विक्रम सिंह पुत्र भूपत सिंह यादव
निवासी ग्राम लोहादेवी तहसील व
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदक

पुष्पा बाई पत्नी भरत सिंह जादौन
पुत्री छोटे सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम तिमाउनी तह. पोहरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार, पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा मामला क्रं. 21/16–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 19.6.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य हैं

2– यह कि, ग्राम तिमाउनी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 छर्च तहसील पोहरी में स्थित भूमि सर्वे नं. 550 रकवा 0.18 है0, 551 रकवा 0.28 है0, 556 रकवा 0.41 है0, 557 रकवा 0.27 है0, 560 रकवा 0.44 है0, 568 रकवा 0.27 है0, 569 रकवा 0.21 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 2.06 है. भूमि के अभिलिखित भूमस्वामी अनावेदक पुष्पाबाई थी। पुष्पा बाई से उक्त भूमियां रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.3.2012 को आवेदक ने क्रय की है। क्रय की गई उक्त भूमियों पर ग्राम पंचायत सालौदा तहसील पोहरी ने प्रस्ताव क्रं. 3 पर दिनांक 18.5.2012 को विक्रेता अनावेदक के स्थान पर क्रेता आवेदक का नाम नामांतरण स्वीकार किये जाने का आदेश जारी किया था।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 2171

विक्रम सिंह विरूद्ध पुष्पा बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7 –08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार पोहरी, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 21 / 2016–17 / अ–12 में पारित आदेश सीमांकन आदेश दिनांक 19–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	